

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्रीमती सोमबती पुत्री श्री बारुराम, निवासी गांव पपलोह, डा0 एवं ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इशतहार/नोटिस

प्रार्थिया श्रीमती सोमबती पुत्री श्री बारुराम, निवासी गांव पपलोह, डा0 एवं ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधिन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनकी (पुत्री श्री बारुराम एवं श्रीमती तुलसी देवी) जन्म तिथि 22-01-1977 है, जोकि ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज न है, जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 24-03-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता, श्रीमती सोमबती पुत्री श्री बारुराम, निवासी गांव पपलोह, डाकघर एवं ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 22-01-1977 ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे

आज दिनांक 21-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्रीमती श्यामा देवी पुत्री श्री प्रेम सिंह, निवासी गांव कांगर, डा0 बनेठी एवं ग्राम पंचायत नावणी-जमटा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इशतहार/नोटिस

प्रार्थिया श्रीमती श्यामा देवी पुत्री श्री प्रेम सिंह, निवासी गांव कांगर, डा0 बनेठी एवं ग्राम पंचायत नावणी-जमटा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधिन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनकी (पुत्री श्री प्रेम सिंह एवं श्रीमती कान्ता देवी) जन्म तिथि 22-08-1977 है, जोकि ग्राम पंचायत नावणी-जमटा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज न है, जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 24-03-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता, श्रीमती श्यामा देवी पुत्री श्री प्रेम सिंह, निवासी गांव कांगर, डा0 बनेठी एवं

ग्राम पंचायत नावणी-जमटा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 22-08-1977 ग्राम पंचायत नावणी-जमटा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे

आज दिनांक 21-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री संतोष कुमार पुत्र स्व0 श्री अलख राम, निवासी गांव, डाकघर एवं ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इशतहार / नोटिस

प्रार्थी श्री संतोष कुमार पुत्र स्व0 श्री अलख राम, निवासी गांव, डाकघर एवं ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधिन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनके पिता (श्री अलख राम पुत्र श्री साधूराम) की मृत्यु तिथि 10-10-2023 है, जोकि ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज न है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार / नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 24-03-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता, तो प्रार्थी श्री संतोष कुमार पुत्र स्व0 श्री अलख राम, निवासी गांव, डाकघर एवं ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में उनके पिता की मृत्यु तिथि 10-10-2023 ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे

आज दिनांक 21-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
